

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House.

Shri Ramvilas Paswan.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4873/16/16]

(3) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4874/16/16]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संवतन प्रतिबंध) निराकरण संशोधन आदेश, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कोआाो 1584(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4875/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123(2)(a) of the Constitution:-

(1) The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2016 promulgated by the President on 24th May, 2016 (No. 4 of 2016).

[Placed in Library, See No. LT 4876/16/16]

(2) The Dentist (Amendment) Ordinance, 2016 promulgated by the President on 24th May, 2016 (No. 5 of 2016).

[Placed in Library, See No. LT 4877/16/16]

(3) The Enemy Property (Amendment and Validation) Third Ordinance, 2016 promulgated by the President on 31st May, 2016 (No. 6 of 2016).

[Placed in Library, See No. LT 4878/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated 11th May, 2016, issued by the President under clause (2) of Article 356 of the Constitution revoking earlier Proclamation issued by him on 27th March, 2016 in relation to the State of Uttarakhand, published in Notification No. G.S.R.499(E) in Gazette of India dated 11th May, 2016 under article 356(3) of the Constitution of India.

[Placed in Library, See No. LT 4879/16/16]

(2) A copy of the Notification No. S.O.2133(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 16th June, 2016 framing the Rules under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in terms of Section 41 read with Section 35 and Rule 17 of Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 under Section 49 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.

[Placed in Library, See No. LT 4880/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4881/16/16]

(3) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) इपट भद्र क्षेत्र में अनुसूचित जाति के शूमिकों के एक्सप्लॉइटेशन के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मामलों की जांच।

(दो) उपर्युक्त रिपोर्ट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4882/16/16]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4883/16/16]